

क्र. की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय अपर समाहर्ता, मुंगेर</b>  <b>जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-13/2018-19</b>  <b>राज्य</b>  <b>बनाम्</b>  <b>योगेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य</b>  <u><b>आदेश</b></u></p> <p>प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, मुंगेर के पत्रांक 626, दिनांक- 29.10.2018 द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण 13/2018-19 राज्य बनाम् श्री योगेन्द्र कुमार सिंह एवं दस अन्य का अभिलेख टोपो लैंड की जमाबंदी रद्द करने हेतु जो अंचलाधिकारी सदर मुंगेर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा-हरनाथपुर, तौजी नं0-6631, खाता+खेसरा-टोपो से संबंधित भूमि जिसका जमाबंदी नं0-क्रमशः 88, 90, 19/165, 33, 49, 57/203, 89, 12, 287, 336, 335, 135, 698, 696, 697, 79, 246, 266, 237, 244, 245, 135, 699, 700 एवं 20 पर श्री योगेन्द्र कुमार सिंह पे0-बनवारी मंडल, एवं 10 (दस) अन्य का नाम पंजी-2 में दर्ज है जिसे अनुशंसा के साथ जमाबंदी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।</p> <p>प्रस्तुत वाद को दिनांक-31.10.2018 को अंगीकृत करते हुए राज्य की ओर से टोपो लैंड के दावाकर्ता को नोटिस इस आशय से दिया गया कि वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर दावा सिद्ध कर सकते हैं। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दिनांक-30.11.2018 को मौखिक बहस किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह विदित कराया गया कि गर्भ वाली भूमि सरकार की होती है और गंगा के गर्भ में रहने के कारण उस जमीन को बंगाल सर्वे एक्ट के द्वारा सर्वे नहीं किया जा सका, वह भूमि 'टोपो लैंड' के नाम से जाना गया। प्रश्नगत टोपो भूमि उपरोक्त जमाबंदी रैयत के नाम से कभी सरकार द्वारा बन्दोवस्त नहीं किया गया है एवं खतियान भी तैयार नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि है।</p> <p>प्रस्तुत वाद से संबंधित एक मामला तारकदास आचार्य चौधरी बनाम् राज्य सेक्रेटरी (AIR-1935 PC 125) में यह Privy Council द्वारा निर्धारण किया गया कि जिस भूमि का सर्वे नहीं किया गया वह जमीन सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी और सरकार को प्रस्तुत भूमि का स्वत्व एवं दखल कब्जा और हित पूर्णरूपेण प्राप्त है। पूर्व में अंचल कार्यालय द्वारा जो भी जमाबंदी दावाधारियों के पक्ष में सृजित किया गया है वह विधिवत नहीं किया गया है, इसलिए यह वैध नहीं है। इस प्रकार जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में जो भी दस्तावेज दाखिल किया गया है उक्त सभी वादों में राज्य सरकार पक्षकार नहीं है। इसलिए उक्त वादों का निर्णय राज्य सरकार के स्वत्व एवं दखल कब्जा को बाधित नहीं</p>	

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	<p>करता है। किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी सृजन से उनके पक्ष में स्वत्व का होना नहीं माना जाता है इसलिए जो भी मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया गया है वह तो विधिवत जमाबंदी सृजन के बगैर है। इस परिप्रेक्ष्य में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी वर्षों पहले सृजित की गई है एवं लगान रसीद निर्गत है। इसी के आलोक में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जमाबंदीधारी (प्रतिवादी) की सृजित जमाबंदी को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। उक्त प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह उनके दावे एवं स्वत्व का समर्थन नहीं करता है।</p> <p>उक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मुंगेर द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि के चल रहीं जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। निदेशक भू-अर्जन, बिहार पटना के पत्रांक-652/रा0 दिनांक-8.6.18 द्वारा प्राप्त पत्र में वर्णित है कि टोपो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर किसी रैयत विशेष के स्वामित्व/ अधिकार नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही भारत के राजपत्र संख्या-1215, दिनांक-18.5.16 में यह अंकित है कि उक्त मौजे की जमीन कृषि टोपो लैण्ड है। उक्त जमाबंदी रैयत (प्रतिवादि) द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित वांछित कागजात यथा केबाला की छायाप्रति, राजस्व रसीद की छायाप्रति तथा अन्य कागजात समर्पित किया है जो कि अभिलेखबद्ध है।</p> <p>जहाँ तक विपक्षियों द्वारा केबाला प्रस्तुत करने का सवाल है, इस संदर्भ में यह कहना है कि निबंधन कार्यालय सिर्फ दस्तावेजों का निबंधन करता है। इस प्रकार यदि कोई दस्तावेज निबंधन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है तो भी राज्य के स्वत्व अधिकार पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था और न ही नियमानुकूल ही था जो खारिज होने योग्य है। इस संदर्भ में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि विपक्षियों ने प्रस्तावित भूमि से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं जमाबंदी के सृजन से संबंधित वैधानिक तौर पर दाखिल-खारिज वाद संख्या एवं पारित आदेश के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।</p> <p>अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के अनुशंसा के आधार पर तथा निदेशक भू-अर्जन के पत्रांक 652/रा0, दिनांक 08.06.2018 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में एवं पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त मौजा-हरनाथपुर, तौजी नं0-6631, खाता+खेसरा-टोपो, से संबंधित निम्न ब्यौरे की जमीन की चल रही जमाबंदी को बिहार दाखिल खारिज</p>	

अधिनियम 2011 की धारा 09 के तहत रद्द की जाती है।

जमीन का ब्यौरा:-

क्रम सं०	मौजा	तौजी नं०	जमाबंदी रैयत का नाम	खाता+खेसरा	रकवा बि० क० धु० धुरकी	जमाबंदी सं०	
1	2	3	4	5	6	7	
1	हरनाथपुर	6631	योगेन्द्र कुमार सिंह, पे०-वनवारी मंडल	टोपो	0-9-0	88	
					0-9-0	90	
					3-0-0	19/165	
					1-10-0	33	
					1-4-12	49	
					1-0-0	57/203	
2	हरनाथपुर	6631	धाना देवी, जौ० भीम यादव	टोपो	0-18-0	89	
3	हरनाथपुर	6631	सुरेश मंडल, पे० शिवन मंडल, दयमंती देवी जौ० कुशो मंडल	टोपो	0-10-0	12	
					0-3-0		
					0-1-0	287	
4	हरनाथपुर	6631	ब्रह्मदेव मंडल, पे०-महावीर मंडल	टोपो	0-1-12	336	
					0-4-3		
5	हरनाथपुर	6631	गायत्री देवी जौ० सुखदेव मंडल	टोपो	0-6-0	335	
					0-1-12		
6	हरनाथपुर	6631	अक्षय यादव, पे०-सौखी यादव (चौखण्डी)	टोपो	4-12-15-5	135	
					गणेश मंडल पे० स्व० बनारसी मंडल (शेरपुर)	0-5-6	698
						0-6-14	
					मुंगा देवी जौ० स्व० नरेश मंडल (शेरपुर)	0-3-6	696
						0-5-7	
					0-6-13	697	
0-3-7							
आशा देवी, जौ० महेश मंडल (शेरपुर)	0-5-7	79					
	0-6-13						
0-3-7							
साधो मंडल, पे०-छक्कू मंडल	1-12-18						
7	हरनाथपुर	6631	विनोद प्रसाद यादव वो प्रमोद प्रसाद यादव, पे०-नारायण प्र० यादव (चौखण्डी)	टोपो	01-3-10	246	

आदेश की क्रम- संख्या  
और तारीख


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर दी गयी  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी, तारीख के साथ

8	हरनाथपुर	6631	सुबोध कुमार यादव, पे0 रामरूप यादव (चौखण्डी)	टोपो	0-10-0	266
9	हरनाथपुर	6631	सुरेन्द्र प्र0 यादव, पे0-धनेश्वर प्र0 यादव (शेरपुर)	टोपो	01-3-0	237
			सुरेश प्र0 यादव, पे0 धनेश्वर यादव (चौखण्डी)	टोपो	01-0-0	244
			सुरेश प्र0 यादव, पे0 धनेश्वर यादव (चौखण्डी)	टोपो	0-7-0	245
10	हरनाथपुर	6631	रामदेव मंडल, पे0- अनारसी मंडल	टोपो	0-15-17-5	699
			कुणाल कुमार, पे0-स्व0 अशोक कु0 मंडल	टोपो	0-15-17-5	700
11	हरनाथपुर	6631	नेमो मंडल, पे0 रामलाल मंडल	टोपो	0-3-17	20

इस वाद में पारित आदेश का अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर  
मुंगेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

  
अपर समाहर्ता,  
मुंगेर।

  
अपर समाहर्ता,  
मुंगेर।